प्रेस नोट दिनांक 10.05.2026 जनपद प्रतापगढ़

थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

"प्रतापगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता: महिला यात्री से चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी से संबंधित ₹15,920/- व घटना में प्रयुक्त टेंपो बरामद"

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना कोतवाली नगर पुलिस की प्रभावी कार्यवाही : महिला यात्री के बैग से जेवर चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, ₹15,920/- नकद एवं घटना में प्रयुक्त 01 अदद टेंपो बरामद-

प्रतापगढ़।
दिनांक 01.05.2026 को वादिनी निवासी सरोजनी नगर, थाना नाजिराबाद, जनपद कानपुर नगर द्वारा थाना अंतू क्षेत्र में शादी समारोह से वापस जाते समय ऑटो में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बैग का ताला तोड़कर सोने की चैन एवं चांदी की पायल चोरी किए जाने की सूचना दी गई। इस संबंध में थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 269/2026 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशांत राज के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली नगर श्री सुभाष कुमार यादव के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर के उ0नि0 अमित सिंह चौकी प्रभारी भगवा मय हमराह कां0 श्याम सुंदर, का० विलास यादव, कां0 योगेंद्र, कां0 अंकित द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 269/2026 धारा 303(2) बीएनएस से संबंधित 02 अभियुक्त 1.रवींद्र वर्मा पुत्र संतराम वर्मा निवासी नेवादा दीवानगंज थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष 2. संदीप वर्मापुत्र सीताराम वर्मा निवासी पूरे मुस्तफा थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 25 वर्ष को 15920/- रुपये व 01 अदद टेंपो के साथ थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत रेलवे स्टेशन जीआरपी बैरक के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों के कब्जे से ₹15,920/- बरामद किये गये। उक्त बरामदगी के संबंध में थाना स्थानीय पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गई है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि हम लोग कुल चार व्यक्ति हैं जो स्टेशन से सवारी को बैठाकर उसका दिमाग इधर-उधर भटकाकर उसके बैग का ताला तोड़कर उसमें रखा हुआ कीमती सामान चोरी कर लेते हैं तथा उक्त चोरी किए हुए सामान को लेकर हमारे दो अन्य साथी रास्ते में ही उतर जाते हैं। दिनांक 01.05.2026 समय लगभग तीन-चार बजे शाम को एक महिला सवारी तथा उसके लड़के को अपने टेंपो में बैठाकर गड़वारा से रेलवे स्टेशन प्रतापगढ़ के लिए चल दिए रास्ते में बैठी हुई सवारी का दिमाग भटका कर उसके बैग का ताला तोड़कर हम लोगों ने उसमें रखा एक जोड़ी पायल चांदी का व एक सोने की जंजीर को चोरी किया था तथा चोरी किए गए सोने की जंजीर व पायल को हम लोगों ने मिलकर आते-जाते राहगीर को ₹60,000 में बेच दिया 1 था जिसमें हम चारों लोगों द्वारा बराबर बराबर हिस्सों में बांट लिया गया जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को हिस्से में 15000 रुपए मिले थे जिसमें हम लोगों द्वारा और पैसे अपने मौज मस्ती में खर्च कर लिए गए हैं जो पैसा बचा है साहब इस सोने की चेन व चांदी की पायल का बचा हुआ शेष पैसा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. रवींद्र वर्मा पुत्र संतराम वर्मा निवासी नेवादा दीवानगंज थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष।
02. संदीप वर्मापुत्र सीताराम वर्मा निवासी पूरे मुस्तफा थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 25 वर्ष।

बरामदगी-

चोरी से संबंधित 15920/- रुपये व 01 अदद टेंपो बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 अमित सिंह चौकी प्रभारी भगवा मय हमराह कां0 श्याम सुंदर, का० विलास यादव, कां0 योगेंद्र, कां0 अंकित थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना फतनपुर के उ0नि0 सन्तोष वर्मा मय हमराह चौकी प्रभारी रामापुर उ0नि0 राजनाथ यादव व का0 आशुतोष तिवारी, म0का0 ज्योति यादव द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान एसटी न. 578/2019 व मु0अ0सं0- 108/2019धारा 323/504/506 भा0द0वि0 व 3(1)द एससी एसटी एक्ट थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त अशोक कुमार पटेल पुत्र रामजतन निवासी ग्राम रामापुर थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ को थाना फतनपुर क्षेत्रान्तर्गत उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. अशोक कुमार पटेल पुत्र रामजतन निवासी ग्राम रामापुर थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-
उ0नि0 सन्तोष वर्मा मय हमराह चौकी प्रभारी रामापुर उ0नि0 राजनाथ यादव व का0 आशुतोष तिवारी, म0का0 ज्योति यादव थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा "हत्या के प्रयास" से संबंधित 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा हत्या का प्रयास के अभियोग से संबंधित 03 अभियुक्तों को घटना में प्रयुक्त 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर मय 04 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर नाजायज, 02 अदद मोटरसाइकिल के साथ थाना मानिकपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम अतौलिया के पास जंगल से गिरफ्तार किया गया।

प्रतापगढ़।
दिनांक 08.05.2026 को वादी निवासी बजहा भीट थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र देकर पारिवारिक विवाद के दौरान विपक्षियों पर अवैध तमंचे से फायर करने, मारपीट करने एवं जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है। जिसके संबंध में थाना मानिकपुर पर मु0अ0सं0 102/2026 धारा 109(1)/115(2)/352/351(3)/288 बी0एन0एस0 बनाम 03 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनंदन राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी श्री नरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में थाना मानिकपुर के उ0नि0 अमित कुमार सिंह मय हमराह उ0नि0 उमेश प्रताप सिंह, का0 हरवीर सिंह, का0 भीमराव, रि0का0 आर्यन, रि0 आ0 अमन यादव, रि0आ0 सौरभ यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 102/2026 धारा 109(1)/115(2)/352/351(3)/288 बी0एन0एस0 से संबंधित 03 वांछित अभियुक्तों, 1.सचिन मौर्या पुत्र उमेश चन्द्र निवासी तेरही थाना सलवन जनपद रायबरेली उम्र करीब 21 वर्ष 2.आशू मौर्या पुत्र स्व0 रमेश मौर्या निवासी गण तेरही थाना सलवन जनपद रायबरेली उम्र करीब 19 वर्ष 3.लवकुश पुत्र राजाराम निवासी धरई थाना सलवन जनपद रायबरेली उम्र करीब 21 वर्ष को थाना मानिकपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम अतौलिया के पास जंगल से घटना में प्रयुक्त 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर मय 04 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर नाजायज, 02 अदद मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों के कब्जे बरामद मोटर साइकिलों को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया तथा 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर मय 04 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर नाजायज की बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की जाती है।

पूछताछ का विवरण-
पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया गया कि उनकी बहन के साथ हो रहे पारिवारिक विवाद एवं मारपीट से क्षुब्ध होकर वे लोग तमंचा लेकर उसके ससुराल पहुंचे थे। जहां ससुरालीजनों के साथ गाली-गलौज एवं मारपीट करते हुए जान से मारने की नीयत से फायर किया गया, जिसमें वह बाल-बाल बच गया। अभियुक्तों ने यह भी बताया कि वे पुनः घटना कारित करने की नीयत से जंगल में छिपकर अंधेरा होने का इंतजार कर रहे थे, तभी पुलिस टीम द्वारा पकड़ लिया गया।

बरामदगी-
01 अदद देशी तमंचा 315 बोर मय 04 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर नाजायज, 02 अदद मोटरसाइकिल।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
01. सचिन मौर्या पुत्र उमेश चन्द्र निवासी तेरही थाना सलवन जनपद रायबरेली उम्र करीब 21 वर्ष।
02. आशू मौर्या पुत्र स्व0 रमेश मौर्या निवासी गण तेरही थाना सलवन जनपद रायबरेली उम्र करीब 19 वर्ष।
03. लवकुश पुत्र राजाराम निवासी धरई थाना सलवन जनपद रायबरेली उम्र करीब 21 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 अमित कुमार सिंह मय हमराह उ0नि0 उमेश प्रताप सिंह, का0 हरवीर सिंह, का0 भीमराव, रि0का0 आर्यन, रि0 आ0 अमन यादव, रि0आ0 सौरभ यादव थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।